न्यायालय माननीय सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/0649

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी

शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री लाखन सिंह जाति– राजपूत आयु– 32 वर्ष निवासी– ग्राम बूधौर तहसील नटेरन जिला विदिशा (म0प्र0)

निगरानीकर्ता/आवेदक

....

बनाम

रामकली बाई पुत्री श्री हरी सिंह राजपूत निवासी– ग्राम बूधौर तहसील नटेरन जिला विदिशा (म.प्र.)

गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

....

दि. 24-1-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8-2-18 नियत। 24-1-18
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 में माननीय श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा (अपर आयुक्त) भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्र. 122/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 25.11.17 के विरूद्व (आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी–1)

श्रीमान जी,

प्रस्तुत निगरानी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है :–

1. यह कि, निगरानीकर्ता ग्राम बूधौर तहसील नटेरन जिला विदिशा का स्थाई निवासी होकर कृषक है एवं वर्तमान में कृषि कार्य कर अपनी जीविका चलाता है।

2. यह कि, निगरानीकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत दिनांक 11.9.13 को समक्ष तहसीलदार महोदय तहसील नटेरन के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसके अन्तर्गत आवेदक द्वारा ग्राम ...र तहसील नटेरन स्थित सर्वे न. 106/2/ख रकवा 2.990 हेक्टेयर, सर्वे न... रकवा 2.537 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकवा 5.527 हेक्टेयर भू...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/0649

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राहुल बंसल उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि यह प्रकरण नामांतरण का है। तहसीलदार द्वारा वसीयत को संदेहास्पद मानते हुए मृतक के सभी वैध वारिसों के नामांतरण का आदेश दिया है। जिसकी पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है। इस प्रकार प्रकरण में तथ्यों के संबंध में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण निगरानी ग्राह्य की जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	